

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 361/2024

अनवान :

1. गुरभीतसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 1 एस.आर.डबल्यू नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. दर्शनसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 1 एस.आर.डबल्यू नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. रजिया बेगम पत्नी नजर हुसैन जाति मुसलमान निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग

:-वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 23/12/24




आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व अजय भादू अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादीया के नाम से दर्ज चक 1 एस.आर डबल्यू के खाता सं० 247/101 में अंकित 1.265 है० नाली प्रथम आराजी मे से चक नं० 1 एस.आर डबल्यू के प०न० 227/269 मु० 23 किलानं० 20/.215 मे से .038 है० दक्षिण दिशा नाली प्रथम व किलानं० 21/.215 है० नाली प्रथम कुल 0.2530 है० नाली प्रथम आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं०

एस.आर डबल्यू के खाता सं० 247/101 मे से प्रतिवादीया सं० 1 का हिस्सा कम अधिकार देने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उप (सहाय्यक) न्यायाधीश (राजस्थान)
परिपत्रक अधिकारी (राजस्थान)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी